# लोक-सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION

# OF

# 5th

# LOK SABHA DEBATES

[ तीसरा सत्र
Third Session ]

[ खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31 ]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1971/26 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 26, Friday, December 17, 1971/Agrahayana 26, 1893 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे में | Re. Statement by Prime Minister | 1 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 1—4 |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Member's Bills and Resolutions | 4 |
| कार्यवाही सारांश | Minutes | 4 |
| राज्य सभा से संदेश | Messages from Rajya Sabha | 4—5 |
| आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में) | Essential Commodities (Amendment) Bill (As passed by Rajya Sabha) | 5 |
| सभा-पटल पर रखे गये | Laid on the Table | 5 |
| विधेयकों पर अनुमति | Assent to Bills | 5—6 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Underta. kings | 6 |
| छठा, दसवां और ग्यारहवां' प्रतिवेदन | Sixth, Tenth and Eleventh Reports | 6 |
| सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति | Committee on Government Assurances | 6 |
| दूसरा प्रतिवेदन | Second Report | 6 |
| सभा का कार्य | Business of the House | 6—8 |
| संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक को संसद द्वारा पारित रूप में राज्य विधान सभाओं के अनुमोदनार्थ भेजने के बारे में वक्तव्य | Statement re : Reference of Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, as passed by Parliament, to State Legislatures for Ratification | 8 |
| श्री एच० आर० गोखले | Shri H. R. Gokhale | 8 |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक | Code of Criminal Procedure Bill | 9 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| संयुक्त समिति में एक सदस्य को सम्मिलित करने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति | Concurrence in Rajya Sabha recommendation to appoint a member to Joint Committee | 9 |
| संघ राज्यक्षेत्र कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित | Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill-Introduced | 9 |
| दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत) और दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक | Statutory Resolution re : Delhi Road Transport Laws (Amendment) ordinance (Negatived) and Delhi Road Transport Laws (Amendment) Bill | 10 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय | Dr. Laxminarain Pandeya | 10 |
| श्री राजबहादुर | Shri Raj Bahadur | 11—13 |
| श्री मुहम्मद इस्माइल | Shri Mohammad Ismail | 13 |
| श्री अमरनाथ चावला | Shri Amarnath Chawla | 13—14 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerje | 14 |
| श्री एच० के० एल० भगत | Shri H. K. L. Bhagat | 14—15 |
| श्री ई० आर० कृष्णन | Shri E. R. Krishnan | 15—16 |
| श्री दलीप सिंह | Shri Dalip Singh | 16—18 |
| खण्ड 2 से 8 और 1 | Clauses 2 to 8 and 1 | 19 |
| पारित करने के लिये प्रस्ताव | Motion to pass | 19 |
| श्री राज बहादुर | Shri Raj Bahadur | 19 |
| विधेयक पुर:स्थापित | Bills Introduced | 19 |
| (एक) संघ राज्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा विधेयक (श्री समरगुह द्वारा) | Union Territories Secondary Education Bill by Shri Samar Guha | 19<br>19 |
| (दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 का संशोधन तथा नये अनुच्छेदों 74क, 74ख, आदि का अन्त:स्थापन) श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ द्वारा | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 74 and insertion of new articles 74A, 74B. etc.) by Shri Fatesinghrao Gaekwad | 19—20 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धाराओं 250क, 250ख, आदि का (अन्तःस्थापन) के बारे में | Re : Code of Criminal Proce. dure (Amendment) Bill Insertion of new sections 250A, 250B etc) | 20 |
| स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक विचार करने के लिये प्रस्ताव | Freedom Fighters (Appreciation of Services Bill | 20 |
| | Motion to consider | 20—21 |
| श्री झारखण्डे राय | Shri Jharkhande Rai | 21—22 |
| डा० गोविन्द दास | Dr. Govind Das | 22 |
| श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panirahi | 22 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | 23—24 |
| श्री बी० एस० मूर्ति | Shri B. S. Murthy | 24 |
| श्री परिपूर्णानन्द पैन्थूली | Shri Paripoornanand Painuli | 24 |
| श्री राम सहाय पाण्डेय | Shri R. S. Pandey | 24 |
| श्री एफ० एच० मोहसिन | Shri F. H. Mohsin | 24—25 |
| पश्चिम क्षेत्र में सभी मोर्चों पर 17 दिसम्बर 1971 को रात्री के 8 बजे युद्ध विराम सम्बन्धी भारत के निर्णय के बारे में वक्तव्य | Statement re. India's Decision to cease Operations from 20.00 hrs. on the 17th December. 1971 on All Fronts x in the Western Sector | 25 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi | 25—27 |
| प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करने के लिये सैन्ट्रल हाल में संसद सदस्यों के सम्मेलन के बारे में घोषणा | Announcemennt re. meeting of Member of Parliament in the Central Hall to felicitate the Prime Minister | 27 |
| शनिवार 18 दिसम्बर 1971 को सभा की बैठक के बारे में घोषणा | Announcement re : sitting of the House on Saturday December 18 1971 | 27—29 |

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

14 दिसम्बर, 1971 । 23 अग्रहायण , 1893 (शक)

का शुद्धि-पत्र

---

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
|---|---|

---

विषय सूची ,पष्ठ ।। पंक्ति 6 कालम 1 में `पुरस्थापित के पश्चात ` और पारित भी पढ़िये ।

तथा कालम 2 में Introduced ' के पाद and passed' भी पढ़िये ।

23 पंक्ति 2 में `श्री छुद्दा लाल ` के स्थान पर `श्री छुट्टन लाल ` पढ़िये ।

पंक्ति 4 में `श्री हीरालाल डौजा ` के स्थान पर ``श्री हीरा लाल डौडा पढ़िये ।

# लोक सभा
# LOK SABHA

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1971/26 अग्रहायण 1893 (शक)
Friday, December 17, 1971/Agrahayana 26, 1893 (Saka)

**लोक-सभा दस बजे समवेत हुई**
The Lok Sabha met at Ten of the Clock

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair ]

## प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बारे में
## RE. STATEMENT BY PRIME MINISTER

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मन्त्री 12 बजकर 30 मिनट पर एक वक्तव्य देंगी ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : Sir, the, statement should have come just now at. 10 A. M.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे सहमत नहीं हूं ।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम आदि की प्रति

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कासगंज (उत्तर प्रदेश) में एक फर्म से भारतीय सिक्के पकड़े जाने के बारे में सर्वश्री जगन्नाथराव जोशी तथा हुकमचन्द कछवाय के अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के 4 जून, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1780 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1301/71]**

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 5249 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 मई, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1997 का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(दो) एस० ओ० 5260, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 मई, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1997 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1302/71**]

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 5185, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 1 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 999 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(दो) एस० ओ० 5185 क, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 1 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 999 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1303/71**]

(5) (एक) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एफ० 4 (40)/71-फिन० (जी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 26 जुलाई, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (40)/71-फिन (जी) का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1304/71**]।

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1788 क के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1305/71**]

(7) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साठ पठित, मैसूर उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 71 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, मैसूर उत्पाद

शुल्क (मादक-द्रव्य के फुटकर विक्रय के अधिकार का पट्टा) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 310 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1306/71**]

(8) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर लाटरी और पुरस्कार प्रतियोगिता नियंत्रण तथा कर अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (दो) के अन्तर्गत मैसूर की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1562 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1307/71**]।

**वायुयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी)** : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (क) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वायुयान (संशोधन) नियम 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 172 में प्रकाशित हुए थे तथा व्यख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 411 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 412 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(चार) वायुयान (पांचवा संशोधन) नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 714 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1308/71**]।

(2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एअर इण्डिया का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) इण्डियन एयरलाइन्स का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(3) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एअर इण्डिया के वर्ष 1970–71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इण्डियन एअरलाइन्स के वर्ष 1970–71 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1309/71]**

## जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेक (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की समीक्षा

**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970--71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970--71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1310/71]**

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

### कार्यवाही-सारांश

**श्री जी० जी स्वैल** (स्वायतशाशी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति को चालू सत्र के दौरान हुई बैठकों (छठी से आठवी) के कार्यवाही-सारांश को सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

## राज्य सभा से सन्देश
## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 13

दिसम्बर, 1971 को पास किये गये कोक कोयला खान (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 1971 की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये नौसैनिक और वायुयान प्राइज विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 19 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1971 पास किया है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 दिसम्वर, 1971 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये पंजाब विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

---

## आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)
## ESSENTIAL COMMODITIES (AMEDNMENT) BILL (AS PASSED BY RAJYA SABHA)

**सचिव** :—मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1971 (राज्य सभा द्वारा पारित रूप में) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

## विधेयकों पर अनुमति
## ASSENT TO BILLS

**सचिव** :—श्रीमन् मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्टाम्प और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1971

(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971

(3) रेल यात्री भाड़ा विधेयक, 1971

(4) डाक वस्तुओं पर कर विधेयक, 1971

(5) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर विधेयक, 1971

(6) वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1971

(7) आयुध (संशोधन) विधेयक, 1971

---

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

### छटा, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

**डा० कैलाश** (बम्बई दक्षिण) . मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय पर्यटन विकास निगम के सम्बन्ध में समिति के 70 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन ।

(2) एअर इण्डिया के सम्बन्ध में समिति के 69 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दसवां प्रतिवेदन ।

(3) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में समिति के 49 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

---

## सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

### दूसरा प्रतिवेदन

**श्री वी० शंकर गिरि** (दमोह) : मैं, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## सभा का कार्य
## BUSINESS OF THE HOUSE

**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : श्रीमन्, मैं घोषणा करता हूं कि 20 दिसम्बर. 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची की किसी ऐसी सरकारी मद पर आगे विचार जिस पर चर्चा आज समाप्त न हो सकी ।

(2) विचार तथा पास करना

संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

उत्तर प्रदेश छावनियां (भाटक तथा बेदखली नियंत्रण) (निरसन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(3) राष्ट्र गौरव-अपमान-निवारण विधेयक, 1971 में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार

(4) विचार तथा पास करना

न्यायालय अवमान विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (नागालैंड के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में विस्तार) विधेयक, 1971 ।

विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर करना और दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक 1971

राजनयिक सम्बन्ध (वियना कनवेंशन) विधेयक, 1971

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : आजकल सभा की बैठक प्रतिदिन तीन घण्टे तक चलती है । इस अवधि में सरकारी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है । यह तभी पूरा किया जा सकता है जब सभा की बैठक छः, सात घण्टे प्रतिदिन चले । बँगला देश सरकार की स्थापना हो चुकी है और हमें अमरीकी साम्राज्यवादियों के दृष्टिकोण का पता चल गया है । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विशेषतया अमरीकी साम्राज्यवादियों के व्यवहार के संदर्भ में तीन, चार घण्टे की चर्चा होनी चाहिये । मुझे आशा है आप ऐसी चर्चा की अनुमति देंगे ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior):** We will not be able to finish all the business announced by the Minister of Parliamentary Affairs in two or three days.

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से अगले सप्ताह हमें सभा के सामान्य समय तक बैठना होगा । इतने समय में सब कुछ पूरा हो जायेगा ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** Then you should also allow a discussion on international situation and specially a discussion on the statement the Prime Minister is going to make in the House today.

Secondly, what happened to the Bill regarding postponement of elections.

**Shri Raj Bahadur :** As regards the Bill regarding postponement of elections, opposition leaders would be called for their advice on the matter and it is only then the discusion regarding this matter would be taken. As regards Government's business next week there are two or three Bills as passed by Rajya Sabha, then there is a consideration on amendment made by Rajya Sabha. There is a certain business which is formed and there are two or three small Bills.

**श्री एस० एम० बनर्जी** : हमने जिस चर्चा की मांग की थी उसका क्या हुआ ।

**श्री राजबहादुर** : माननीय सदस्य इस बात की ओर ध्यान दें कि मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तथा सुरक्षा परिषद् में विचार किया जा रहा है। हम चर्चा के लिये मना नहीं करते परन्तु हमें विदेश मन्त्री के वापस आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनके दो तीन दिन में ही वापस आ जाने की संभावना है।

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि विदेशमंत्री के वापस आने पर सदन की बैठक होगी। सभा में इस विषय पर चर्चा होगी।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आशा है कि आप कुछ समय पश्चात इस विषय में सदन को सूचित कर सकेंगे।

**श्री राजबहादुर** : मैं सदन के नेता से परामर्श करने के पश्चात ही सदन को सूचित करूंगा।

---

## राज्य विधान सभाओं के अनुमोदनार्थ संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, संसद द्वारा पारित रूप में भेजने के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: REFERENCE OF CONSTITUTION (TWENTY FIFTH AMENDMENT) BILL, AS PASSED BY PARLIAMENT, TO STATE LEGISLATURES FOR RATIFICATION

**विधि तथा न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले)** : संविधान (25वां संशोधन) विधेयक, 1971 संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास किया गया था। एक प्रश्न यह पैदा हो गया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अन्तर्गत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाने से पूर्व विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का राज्य-विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है ? इसके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस रूप में अनुच्छेद 31ग बनाया गया है उस रूप में यह न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित करना है अतः इस अनुच्छेद के लिये राज्य विधान सभाओं का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। फिर भी पैदा होने वाली संभावित कठिनाइयों के विचार से तथा बहुत सावधानी बरतते हुये सरकार ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं के अनुमोदन के लिये भेजने का निश्चय किया है।

मामले का महत्व देखते हुये राज्य सरकारों को विधान सभाओं का शीघ्रातिशीघ्र अधिवेशन बुलाने का परामर्श दिया जा रहा है जिससे संशोधन को शीघ्रातिशीघ्र कार्य रूप दिया जा सके।

---

## दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

### संयुक्त समिति में एक सदस्य को सम्मिलित करने के बारे में राज्य-सभा की सिफारिश पर सहमति

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त)** : मैं श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह राज्य सभा की इस सिफारिश से, कि लोक सभा, दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में, श्री केदार नाथ सिंह द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, सहमत है और संकल्प करती है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उक्त संयुक्त समिति के लिये श्री बी० आर० शुक्ल को नाम निर्दिष्ट किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है,

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से, कि लोक सभा, दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं को संयुक्त समिति में, श्री केदार नाथ सिंह द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करे, सहमत है और संकल्प करती है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये उक्त संयुक्त समिति के लिये श्री बी० आर० शुक्ल को नाम निर्दिष्ट किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

---

## संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक
UNION TERRITORIES TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त)** : मैं संघ राज्य क्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों की कपितय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : मैं, विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## दिल्ली सडक परिवहन विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली सडक परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक

## STATUTORY RESOLUTION RE: DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) BILL

**अध्यक्ष महोदय** : सांविधिक संकल्प तथा दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए हमारे पास 1 घन्टा 45 मिनट शेष हैं। 11·30 बजे पूर्वाह्न हमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है। मेरे विचार से इस विधेयक को जल्दी से समाप्त कर लिया जाये क्योंकि केवल 10 मिनट के लिए इसे अगले सप्ताह के लिए छोड़ने में कोई लाभ नहीं है। आशा है, मेरे विचार से आप सहमत होंगे। सांविधिक संकल्प तथा विधेयक पर एक साथ चर्चा होगी। श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय।

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya** (Mandsaur) : This House disapproves of the Delhi Road Transport laws (amendment) ordinance, 1971. (ordinance No. 21) of 1971 promulgated by the president on the 3rd November, 1971. There does not any bonafide intention. If the Govt. and any compelling reason under which Delhi Road Transport laws (amendment) ordinance has been promulgated.

The central Govt has promulgated this ordinance in haste either to harass or to deframe the efforts being made by the Delhi Municipal corporation to tackle and improve the transport problem in Delhi.

It is time that the existing bus service was not able to later to the needs of increasing problem in Delhi. Mini Buses were introduced on the suggestion of Road Research Institute. One of 100 Mini Buses, Permits for 70 buses were granted to co-operative iocieties and permits for 30 buses were granted to D. T. U. The D. T. U. did not ply their Mini buses so far. The Mini buses introduced by co-operative societies provided some relief.

Bombay pons service in Delhi is not good as in and other cities. The reason is that working hours in a day in Delhi bus service are less as compared to bombay. The D. T. U. management is responsible for defective working. Delhi Municipal corporation suggested that 500 new buses should be run and some new routes should be introduced. In view of the recommendations of Road Research Institute, permits for 65 new buses were given but D. T. U. authorities dis not make use of the new permits. The grant of Rs. 368 lakhs was not properly utitized. Delhi Municipal corporation had also proposed that the buses should be requisitioned from Haryana, Rajasthan and U. P. but the more could not be implemented due to non-cooperative attitude of the Chairman of D. T. U.

The Central Govt. has issued the ordinance just to defance jansangh which is becoming more popular by their work in Municipal corporation.

**अध्यक्ष महोदय** : सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया गया : —

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन करती है"

**संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये सड़क परिवहन निगम की स्थापना और उस प्रयोजनार्थ, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

इस सम्बन्ध में मैं स्थिति से अवगत करना चाहता हूं । दिल्ली परिवहन उपक्रम की स्थापना दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत हुई थी । उस समय भी यह मांग की गई थी कि इस सांविधिक निगम द्वारा चलाया जाये । फिर भी दिल्ली निगम अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार इसे नगर निगम को सौंपा गया तथा इसने 1957 से कार्य करना आरम्भ किया । 1966 में दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम के रूप में, जो एक सांविधिक निकाय हो, परिवर्तित करने के लिये एक विधेयक लाया गया । परन्तु संसद के विघटन के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की सेवाओं की चारों ओर से शिकायतें की गयी हैं और प्रशासनसुधार आयोग तथा नगर परिवहन सेवाओं के कार्यकारी दल ने भी एक सांविधिक निगम के गठन की सिफारिश की ।

प्रतिवर्ष घाटे में चलने से निगम की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक बिगड़ गयी । आय तथा व्यय का अन्तर निरन्तर बढ़ता रहा । सरकार ने 15·58 करोड़ रुपये की राशि के ऋण दिए । इसमें से बहुत थोड़ी राशी का भुगतान किया गया तथा 31 मार्च 1971 को 14·5 करोड़ रुपये की राशी बकाया रही । किश्तों में भुगतान करने के लिये जो ऋण दिये गये उनका भी भुगतान नहीं हुआ । 5·5 करोड़ रुपये की किश्तों का भुगतान नहीं हो सका । 31 मार्च 1971 तक 3·71 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का भुगतान भी नहीं किया जा सका । मोटर गाड़ियां खरीदने के जो ऋण दिए गये उन्हें अर्थोपाय संसाधनों के रूप में उपयोग किया गया । इस कारण बसों की अत्यधिक कमी हो गई और आज स्थिति इस प्रकार है कि 37 प्रतिशत बसें 8 वर्ष पुरानी हैं तथा उनमें से 24 प्रतिशत 31 मार्च को 10 वर्ष पुरानी थीं ।

वर्कशाप की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे बसों की मरम्मत आदि ठीक प्रकार से कराई जा सकती थी ।

दिल्ली परिवहन के पास 1391 बसें थीं जिनमें से नवम्बर 1971 के आरम्भ में 934 बसें चलती थीं । 230 गैर-सरकारी बसें थीं जिनकी सेवा भी प्रशंसनीय नहीं थी । इनमें से 80 बसें तो निकाल दिये जाने योग्य हैं ।

वर्ष 1971 के आरम्भ में बताया गया था कि प्रतिदिन 15992 चक्कर लगाए जाते हैं

परन्तु वस्तु स्थिति यह थी कि 12526 चक्कर ही लगाये जाते थे और 3466 चक्कर लगते ही नहीं थे। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि 270 बसें और उपलब्ध करा दी जायें तथा 200 बसों की मरम्मत करा दी जाये तो समस्या सुलझ सकती है। इन परिस्थितियों से दिल्ली परिवहन का अधिगृहण आवश्यक हो गया। इस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। और विशेष अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकता था अतः अध्यादेश जारी करना पड़ा जिससे लोगों की शिकायतें दूर हो सकें।

यह पूछा गया है कि वर्ष 1967-68 से निगम को कितनी धन राशि दी गयी। सरकार ने 660 लाख रुपये की राशि दी थी जिसमें 152 लाख रुपये की राशि अर्थोपायों के लिये दी गयी थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अर्थोपायों के लिये एक अच्छी खासी धन राशि दी गई।

जब से इस उपक्रम का अधिग्रहण किया गया है तब से बहुत से सुधार हुये हैं और संतोषजनक परिणाम निकले हैं। नवम्बर माह में 1175 बसें चालू स्थिति में थीं। निर्धारित चक्करों में प्रतिदिन 539 चक्करों की वृद्धि हुई है। अब प्रतिदिन 1157 और अधिक चक्कर लगाये जाते हैं। प्रतिदिन प्रति बस की आय 192 से बढ़कर 211 हो गई है। इसी प्रकार प्रति किलोमीटर आय 108·5 से बढ़कर 110·01 हो गई है। अप्रैल से सितम्बर तक जो 13 लाख रुपये का घाटा होता था वह अब कम होकर 7 लाख रुपये रह गया है।

हमने धीरे धीरे बस सेवा में सुधार करने का प्रयास किया है। छात्रों की बड़ी-बड़ी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं। विभिन्न कालोनियों तक बस सुविधा के प्रबन्ध की मांगें भी काफी सीमा तक स्वीकार कर ली गई हैं। चालकों तथा अन्य कर्मचारियों का अच्छा कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का समावेश भी किया गया है। यदि कोई चालक अपना कार्य निपुणता से करता है तो उससे कोई दुर्घटना आदि नहीं होती है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में निर्धारित पारितोषिक दिया जायेगा, मरम्मत करने वाले कर्मचारी यदि यह सुनिश्चित कराते हैं कि बसों में धुआं नहीं घुटेगा तो उन्हें भी प्रोत्साहन के रूप में पारितोषिक दिया जायेगा।

264 नई बसों तथा 30 छोटी बसों के लिए क्रयादेश दे दिए गये हैं। आशा है मार्च तक बसें उपलब्ध हो जायेंगी। इसी समय तक इनमें से बहुत सी बसें तैयार स्थिति में उपलब्ध हो जायेंगी जिससे सेवा में वृद्धि हो सकेगी।

कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की ग्रुप बीमा योजना भी विचाराधीन है। हाल ही में 267 दैनिक कर्मचारियों की सेवायें मासिक वेतन दरों पर लाई गयी हैं। ऐसे अन्य दैनिक कर्मचारियों के विषय में कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

जो भी सीमित समय हमारे पास उपलब्ध था उसमें हमने जो कुछ संभव था हमने करने की कोशिश की। दिल्ली परिवहन को अपने अधिकार में लेकर हमें खुशी नहीं हुई है। विधि और व्यवस्था तथा लोगों की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से इस सेवा को अपने हाथ में लेना आवश्यक हो गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये सड़क परिवहन निगम की स्थापना और, उस प्रयोजनार्थ, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सांविधिक संकल्प और विधेयक दोनों सदन के समक्ष हैं।

**श्री आर० वी० बड़े** (खारगोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पुनरीक्षित ज्ञापन क्योंकि विधेयक का भाग है अतः इसे भी औपचारिक रूप से विधेयक के साथ ही पुनःस्थापित किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसको देखा है तथा इसके बाद ही इसकी अनुमति दी है।

**श्री आर० वी० बड़े** : उपाध्यक्ष महोदय ने कल कहा था कि वे इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देंगे।

**अध्यक्ष** माननीय मंत्री ने सभी आवश्यकतायें पूरी कर दी है।

**Shri Mohammad Ismail** (Barrackpore) : Sir, I would like to point out that it has been our experience in the part that similar corporations when formed in other towns and cities have not solved the problems. Sufferings of public have rather increased with the setting up of such corporations. No facilities are provided to the public. There are frequent breakdowns. Buses run to fill capacity but even then losses are increasing day by day.

Delhi corporation would also have to face these problems. Present Bus service in Delhi is very unsatisfactory. People have to wait for hours for getting a bus. Special attention should, therefore, be paid to increase the number of buses so that people have not to wait for hours together for a bus It should also be ensured that bus service runs in fine.

Vigilance call should be set up in Delhi corporation so that thefts of tyres, spare parts, etc. could be checked. If these thefts coold be Checked and corruption routed bus service in the capital city could be maraged on profitable lines. We find that private operators are earning lot of money by playing their buses though they keep staff of 3 persons on each bus. Losses should be eliminated and bus service should earn profits.

**Shri Amar Nath Chawala** (Delhi Sadar) : Sir, Govt. of India deserves congratulations for taking over the management of Delhi Transport undertaking. People of Delhi were suffering very much. People were not getting buses. They had to wait for hours. Therefore this bill is very comendable and timely.

Three steps are necessary for improving the bus service in Delhi. Firstly the number to buses should be increased. Maintenance of buses should be improved. If it could be effected if could increase the number of 'on road' buses. Thirdly the leakage of revenue should also be stopped.

Population of Delhi is increasing tremendously. If a proper and efficient bus service is aimed for Delhi we should think of providing some other modes of Transport also. We should take initiative and plan for providing underground Railways as alternating mode of Transport.

No City bus service can be self reliant in the world. It is always subsidized. There

fore we also would be required to subsidize the City Transport Service in Delhi. Otherwise in order to counter balance the looss it should be permitted to ply buses on inter-state routes.

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur) : Sir, I support this bill. People of Delhi had to face lot of difficulties due to mismanagement in Delhi Transport underaking's bus service. It was considered as a mismanaged concern. Lot of corruption was prevalent in this undertaking. Bus conductors and Drivers has behaved with the public. Moreover bus service was inadequate and unpunctual. In the circumstances people were fed up with this undertaking and hence the take-over has been welcomed everywhere.

It has been allaged that there are political motives behind this take-over. Even if it be so it is a correct step.

Number of buses should be increased and number of private buses hired should be decreased gradually. It is said that one teason for loss to this undertaking is that buses have to run practically empty during non peak hours. This phenominon is not peculiar to Delhi alone. It happens everywhere. During such hours Corporation could Consider issuing special concession tickets so that people take to bus travel during those hours. It will help in raising revenues.

Decentralisation of workshops is a correct decision. All kinds of repairs can not be carried out in one workshop alone. Population of Delhi is increasing and area of Delhi is also expanding. Government should construct 'Fly-over' bridges in order to avoid congestion and diuest various kinds of traffic.

The new corporation should give better treatment to workers. Their elected representatives should be takenin the management. Government has announced policy of participation of labour in management in public undertakings and it should be implemented in this undertaking also. Service conditions of workrs should be improved.

**Shri H. K. L. Bhagat** (East Delhi) ; I welcome this Bill on behalf of people of Delhi. Delhi Transport undertaking was in very deplorable state of affairs. Sixty percent of its buses were 8-10 years old. Bus service was running in loss. Due to buses being very old quite a number of trips were being missed daily which was causing a daily loss of approximately Rs. 6 lakhs to the corporation. Continously for 4-5 years central Government was provided funds for the purchase of new buses but this amount was being converted as ways and means and being utilized shortly for other purposes. The result was that required angmentation of fleet or improvement could not be achieved.

As on 31st, March, Delhi Transport undertaking owed Rs. 16 crores to the central Government. Private operators earn lot of money in transport business, though they have to pay heavy charges to Financial Companies, whereas debts of Delhi transport undertaking were increasing. The reason for this is that there was lack of co-ordination between D. T. U. and Delhi Administration. There was completeness in the undertaking, After its take-over there has been a marked improvement in the service.

It is not merely necessory that fleet of buses should be augmented. There should be a proper transport policy, Transport zones should be created and routes are rationa-

llzed. Needs of each zone should be assessed and we should have a co-ordinated system of transport with the help of others modes of transport.

It i- not fair to say that take-over of Delhi transport undertaking has been prompted due to political considerations. It is not a political decision. Actually it should have been taken years before.

There are certain neglec'ed areas in Delhi, which include colonies of poor people Jhuggie-Jhompri colonies and other unauthorized colonies. Bus service is inadequate at present in these colonies. We should, therefore, give preference to such colonies for making improvements.

Number of Buses should be increased and side by side atter tion should be paid towards problems of roads, bridges and over-bridges. If these problems are not solved transport problem whould not improve.

There is too much Congestion on Jamuna Bridge during peak traffic hours. In order to ease the congestion and help people living in trans-Jamuna colonies one or two additional bridges should be constructed on river Jamuna.

(20)*श्री ई० आर० कृष्णन (सेलम) : मैं सरकारी क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना का स्वागत करता हूं । देश की राजधानी में स्थानीय परिवहन का विशेष महत्व है । दिल्ली की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है । इसके साथ ही पड़ौसी राज्यों से यहां अपने कार्यों पर भी अनेक व्यक्ति आते जाते रहते हैं । इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी दिल्ली आते रहते हैं । सरकार को इस बात को सोचना चाहिये कि इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि स्वाधीनता प्राप्ति के 25 वर्षों के पश्चात भी दिल्ली के लोगों को परिवहन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं देने में सरकार समर्थ नहीं हो पाई है ।

केन्द्रीय सरकार राजधानी में अनेक प्रकार के प्रशासनिक ढांचों के सम्बन्ध में परीक्षण करती रही है । इस सारी परीक्षण प्रक्रिया में दिल्ली के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की भी उपेक्षा होती जा रही है । परन्तु यह अच्छी बात है कि सरकार ने दिल्ली के लोगों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने हेतु एक निगम की व्यवस्था करने का प्रस्ताव पेश किया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि दिल्ली परिवहन को काफी घाटा हुआ है । इसका कारण यह है कि बसों के कन्डक्टर यात्रियों से टिकट के पैसे लेकर उन्हें अपनी जेब में डाल लेते हैं और यात्री को टिकट नहीं देते हैं । जब इस प्रकार की प्रथा जारी रहती है तो सरकार इसे लाभ पर चलाने की आशा कैसे कर सकती है । अतः इस नये

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

निगम को चाहिये कि ऐसे कदाचारों को रोके ।

मद्रास में स्थानीय परिवहन प्रणाली बड़े कार्यकुशल ढंग से कार्य कर रही है । कन्डक्टरों की ईमानदारी के कारण प्रशासन को घाटा भी कम होता है । मेरा सुझाव है कि दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को प्रशिक्षणार्थ मद्रास भेजा जाये और कन्डक्टरों को भी वहां भेजा जाना चाहिये ताकि वे अपने कर्त्तव्य निभाना और यात्रियों के साथ उचित व्यवहार करना सीखें ।

वैसे तो कोई भी राज्य परिवहन उपक्रम लाभ पर चलने की आशा नहीं कर सकता है परन्तु दिल्ली परिवहन निगम में वैसी घटनायें जिनसे घाटा होता है, नहीं होनी चाहिये जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है । प्रशासनिक तन्त्र को कठोर बनाना चाहिये और अपराधियों को बिना दया के दण्ड दिया जाना चाहिये । जन उपयोगी संस्थान में राजनैतिक दलों का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिये । दिल्ली परिवहन निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बसें समय पर चलें और किसी न किसी बहाने बसों के चलने की पारी को समाप्त न किया जाये । मुझे विश्वास है कि निगम लाभ को ही नहीं सेवा को भी प्राथमिकता देगा ।

**Shri Dalip Singh** (Outer Delhi) : I rise to support this Bill moved by Shri Raj Bahadur. First of all I would like to congratulate the hon. Minister for his decision of converting the D. T. U. into a corporation.

For the last five or six years the travelling public of Delhi has been facing unaccountable trouble. Hundreds of countries used to stand in queues waiting for the bus came there was a great jostle for getting on the bus and the ladies could not get on. But, since the take-over of the D. T. U. and formation of the corporation, I think, the situation has ameliorated a lot.

According to the figures given in the statement by the hon. Minister there are at present 1391 buses in all and 934 buses out of them are on road and remaining 467 buses are lying in workshops. I would like to mention the condition of workshop where spare parts of good qualities are taken out and replaced with useless parts. Therefore, workshops should be decentralized and workshop must be opened with each depot and that workshop should be kept under strict supervision.

It is observed generally that buses for a little defect are put into workshops and for a long time they are not back on the road which causes great inconvinience to the travelling public. It should be ensured that they are repaired as early as possible and brought on the road soon.

It is mentioned in the statement that of object at reasons that there should be 15992 trips but only 12526 trips.

It has been stated that one of the reasons for losses is lack of proper checking. One vigilance department should be tightened up and honest officers should be appointed to ensure proper checking of tickets,

The treatment by the conductors and drivers with the travelling public has been mentioned. It is true that their behaviour with the commutors is not fair. As has been

referred to by an hon. Member that there should be a training for the conductors so that they can behave properly with the travelling public. The travelling public may tolerate shortage of buses but they surely cannot tolerate behaviour.

My constituency is outer Delhi, a vast one, comprising of so many villages, J. J. colonies and unauthorized colonies. The Jamasangh administration in Delhi has decided not to ply buses for the poor persons living in villages and J. J. colonies etc. These people have to come to Delhi for earning their livelihood. Some transport arrangements should be made for them.

A bus costs 80 thousand and a person who plies his own bus plies it for years but our buses get defective within a year. In order to keep our buses in running condition there must be a provision under which one driver should take charge of the bus from the driver who brings the bus into depot at the time his duties are over so that the buses may be kept in proper condition

**Dr. Laxminarain Pandeya** (Mandsaur) : Mr. Speaker, Sir, so far as the formation of the corporation is concerned, the doubts expressed about it are true because it has been learnt that corporation at other places have incurred losses and their losses continue to increase despite the Governmental help. Besides, the experiences of other Road Transport Corporation have shown that the responsibilities expected of them have come to an end.

Though the D. T. U. has been taken over no amelioration in the condition of buses has been noticed. There is no such evidence as any constructive work might has been done after the formation of the corporation.

Grants for crores of rupees have been given but no improvement in the condition of buses has been noticed. The Jama sangh administration wanted to bring improvement and it made certain practical suggestions to stop losses and their efforts for improvement continued. There is no need of bringing forward such bill.

**श्री राज बहादुर** माननीय सदस्यों ने कुछ कदाचारों और अनियमितताओं आदि का उल्लेख करते हुये कहा है कि प्रशासन तन्त्र को कठोर बनाया जाना चाहिये । थोड़े से व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और 100 से अधिक कर्मचारियों को अनियमित प्रथाओं के कारण निलम्बित कर दिया गया है । उसके कारण आय भी बढ़ी है । सतर्कता ट्रैफिक अधिक्षक पहले से ही गहन जांच करने के लिये है और एक जन सम्पर्क अधिकारी भी यह सुनिश्चित करने के लिये रखा गया है कि दुर्व्यवहार कम किया जा सके अथवा पूर्णतया हटाया जा सके । दिये गये सुझावों पर जहां तक सम्भव होगा, विचार किया जायेगा ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि को प्रबन्ध में रखा जाना चाहिये । इस पर विचार किया जायेगा और जहां तक सम्भव होगा, इसे क्रियान्वित करने का तुरन्त प्रयास किया जायेगा ।

परिवहन क्षेत्रों के निर्माण और मार्गों तथा सेवाओं को युक्ति संगत बनाने का सुझाव दिया गया है । इस सुझाव पर दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्ध को गम्भीरतापूर्वक विचार

करना चाहिये। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि देश की राजधानी में सभी प्रकार के वाहनों यथा ट्रकों, ठेलों और अन्य वाहनों के एक साथ चलने से ट्रैफिक अव्यवस्थित रहता है। हमारे वित्तीय संसाधनों के अनुरूप हम इस समस्या का समाधान करने का लिखित रूप से प्रयास करेंगे। ट्रैफिक को साफ करने के लिये घुमाव और 'एक्सप्रेस वेज' बनाने पर काफी खर्च होता है। यमुना के पार कुछ पुल बनाने का भी सुझाव दिया गया है और वहां रहने वाले झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। इस सम्बन्ध में सुधार करने का प्रयास किया जायेगा परन्तु वर्षों से बिगड़ी व्यवस्था में सुधार करने में वर्ष नहीं तो कुछ महीने तो अवश्य लगेंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियर) : 24 वर्ष।

**श्री राज बहादुर** : हाल ही के 14 दिन के युद्ध ने यह दिखा दिया है कि 24 वर्ष में हमने क्या प्रगति की है। तीसरी अनुसूची अथवा अनुच्छेद जो केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि दिए गये परमिट रद्द कर दिये जायें, की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। चूंकि यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गई है अतः वह इसका उपयोग न्यायपूर्ण ढंग से ही करेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 21) का निरनुमोदन करती है।"

**संकल्प अस्वीकृत हुआ**

**The Resolution was negatived**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये सड़क परिवहन निगम, की स्थापना और, उस प्रयोजनार्थ, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 8, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खंड 1 से 8, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 1 to 8, First Schedule, Second Schedule, Third Schedule, Enacting Formula and the Title were added to the Bill**

**श्री राज बहादुर** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

---

## संघ राज्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा विधेयक

UNION TERRITORIES SECONDARY EDUCATION BILL

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के उत्तम संचालन और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के उत्तम संचालन और विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री समर गुह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 का संशोधन तथा नये अनुच्छेदों 74क, 74ख आदि का अन्त:स्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 74 AND INSERTION OF NEW ARTICLES 74A, 74B ETC.)

**श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

## दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धाराओं 250क, 250ख आदि का अन्त:स्थापन) के बारे में
## RE. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW SECTIONS 250A, 250B, ETC.)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अमरनाथ चावला ।

**गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : दंड प्रक्रिया संहिता दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक पुर:स्थापित न करें । संयुक्त समिति उनके सुझाव पर विचार करेगी ।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : पहले माननीय सदस्य को विधेयक को पुर:स्थापित करने दिया जाये । मंत्री महोदय को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय के कहने के बाद भी माननीय सदस्य खड़े नहीं होते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ।

**श्री अमर नाथ चावला** (दिल्ली सदर) : मन्त्री महोदय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता हूं ।

---

## स्वतन्त्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक
## FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL

**अध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के लिये 2।। घंटे का समय रखा गया है, हमने पहले ही 2 घंटे और 4 मिनट ले लिये हैं । श्री झारखंडे राय अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, I suggest to refer this Bill to the Select Committee. Let the hon. Minister accept it so that everything can be discussed. The hon. Member would like to express his ideas. If it is referred to Select Committee, he will get an opportunity. I do not think there is anybody to oppose this move.

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)** : We have no objection to this move. We are aware of everything and the intention of the House.

**श्री राम सहाय पांडे** (राजनंदगांव) : मैं श्री वाजपेयी के सुझाव का समर्थन करता हूं। यदि इसे प्रवर समिति को भेजा जाता है तो कुछ व्यापक सिफारिशें निकल सकती हैं अन्यथा यह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है और यह गिर जायेगा।

**श्री आर० वी० स्वामीनाथन** (मदुरै) : मैं श्री पांडे से सहमत हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु इसे प्रवर समिति को भेजने के लिये कोई स्थानापन्न प्रस्ताव नहीं है।

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप विधेयक का विरोध करेंगे तो प्रवर समिति के बारे में सुझाव को टाला जा सकता है।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : अब मंत्री महोदय को कुछ कहने दिया जाय ताकि अन्य वक्ताओं को सरकार के विचार के बारे में जानने का लाभ मिल सके।

**अध्यक्ष महोदय** : एक बार जब मैं मंत्री महोदय से बोलने के लिये कहूं तो अन्य वक्ता को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : सम्पूर्ण सभा ने इस बात का समर्थन किया है कि विधेयक की भावना का आदर किया जाना चाहिए। पर कठिनाई यह है कि यदि मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया तो विधेयक पारित होने से रह जायेगा।

**Suri Jharkhande Rai** (Ghosi) : I Congratulate the Government for bringing forward this Bill of National honour. I request the Government to fulfil the wishes of Netaji of bringing the grave of Bhadusha Zafar to India and of Constructing a memorial at Part Blair prison, Andaman. The grave of Madan Lal Dhingra, should also be brought to India from London.

I am sorry to say that the demand of Constructing a menorial in Delhi at the place of Central jail was not fulfilled. In that jail great patriot like Ras Bihari Bose, Amichand, Bal Mukund and Anadh Bihari were Kept. Amar Shahid Bhagat Singht and Vabuteshwa Dutt who threw bomb in this very hall, were also kept in that jail. So I suggest that a memorial should be Constructed infront of Maulana Azad Medical College, Which is situated just at that place.

Land should be given to the landless fighters of Independence.

The families of the soldiers of the Indian National Army should also be given same facilities as are being given to other freedom fighters. In this there should not be any difference bewteen Congressman and others because everybody fought this war for the same cause.

Tbe name of the Alfred Park of Allahabad where Shri Chandra Shekhar Azad died should be named after him instead of calling it Motilal Nehru Park.

There are so many other martyrs and freedom fighters who are not getting proper respect from the Government. The facilities or pentions they are getting are not befitsing.

All the property of the traitors should be seized and distributed among the freedom fighters.

Uttar Pradesh Government did some good work in this direction by giving Rs. 20—65 as pensions to the freedom fighters. Now this amount have been increased to Rs. 60—100. For this I praize the Cheif Minister of Uttar Pradesh.

The important places should be renamed after these freedom fighters and they should be givien proper Economic aid.

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** (बेतूल) : क्या आप प्रवर समिति का गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब इसे बहुत देर हो गई है । मंत्री महोदय इसके लिए राजी नहीं हैं ।

Dr. Govind Das (Jabalpur) : So far as the intention of this Bill concerned I have been sighting with the Government on this issue since long.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Different states have taken different types of steps in this connection. But this is not a question of one state. It is an all India question. I am sorry that even after such a long time Government have not done any thing. The persons who took part in the wars of 1914 and 1939 are getting pension even today but we have not done any thing for giving Economic aid to the freedom firghers. I endorse the suggestion of refering the Bill to the Select Committee because it is not possible to go into all aspects of the Bill in this House.

I want to say one thing that if the Government intends to bring forward a Bill of its own in the next session then the moves of the Bill should have no objection in withdrawing the Bill.

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : अतीत में राज्यों में तथा भारत भर में ब्रिटिश राज्य तथा स्थानीय नरेशों के अत्याचारों के विरूद्ध लड़ाईया लड़ी गई हैं और लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है ।

प्रो० सक्सेना द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का मैं सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं । भारत सरकार ने इस दिशा में सीमा से बाहर जाकर कार्य किया जबकि राज्यों ने उतना कुछ नहीं किया ।

भारत सरकार ने इस आशय का एक विज्ञापन निकाला है कि सभी राजनीतिक पीड़ित तथा स्वतंत्रता सेनानी पेनशन के लिए आवेदन करें । क्योंकि इनमें से कुछ लोग बहुत ही पिछड़े इलाकों में रहते हैं इस कारण उन्हें इसकी सूचना समय पर मिलना कठिन है । अतः सरकार उन्हें कुछ और समय इसके लिए दे । उड़ीसा में ऐसे 10,000 के लगभग व्यक्ति हैं । सरकार को इस सभा में इसी आशय का एक विधेयक लाना चाहिए । यह हमारा कर्त्तव्य है ।

**श्री सगर गुह** : यह एक बड़े ही शर्म की बात है कि 25 वर्ष बीतने पर भी हम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपने कर्त्तव्य को उस सीमा तक नहीं निभाया जिस सीमा तक निभाया जाना चाहिए था ।

मैंने बंगला देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से बात की हैं । उन्होंने अपने हाथ में सत्ता आने से पहले ही शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तैयार कर ली है । और उनका तथा उनके परिवारों का किस प्रकार आदर करना है तथा किस प्रकार की सहायता उन्हें देनी है यह सब कार्यक्रम बना लिया है । उन्होने चटगांव में श्रिय सेन का एक स्मारक बनाने का विचार किया है ।

बंगला देश का अंकुर उस क्रान्तिकारी आन्दोलन में ही था । वह केवल क्रान्तिकारियों और स्वतन्त्रता सेनानियों को ही सम्मानित नहीं कर रहे अपितु वह मुक्तिवाहिनी के उन नौजवानों को भी सम्मामित कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस पवित्र कार्य के लिये दे दिया है । उनके इस कार्य से हमें यह स्मरण हो आता है कि हमने गत ढाई दशकों में अपने स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए क्या किया है ? हमारे वयोवृद्ध क्रांतिकारी आज भी बहुत ही दयनीय दशा में हैं । वह बहुत गौरवशाली व्यक्ति है और वह सरकार से 50 या 100 रूपया मांगने वाले नहीं हैं परन्तु उनके हितों की सुरक्षा करना हमारा अपना परम कर्त्तव्य हो जाता है । हाल ही में इन लोगों के लिए सदन स्थापित किया गया है परन्तु इसके लिए सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है ।

मैंने श्री पंत को हाल ही में इस सम्बन्ध में पत्र लिखे थे कि कई क्रांतिकारी अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं । सरकार उनके लिए क्या कर रही है ? मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने उनके लिए जिस धनराशि का प्रावधान किया है उससे उनका कुछ बनने वाला नहीं है ।

आप को स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व इस सदन द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें यह निश्चित करना था कि अंदमान की काल कोठरी में दम तोड़ने वाले क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को बनाये रखने के लिए वहां पर किस प्रकार का स्मारक बनाया जाये । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन अब सरकार को प्रस्तुत कर दिया है । आज इस बात को भी तीन वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है । मैंने इसके बारे में बार बार सदन में प्रश्न पूछे तथा कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । लगभग एक हजार वर्ष पूर्व जब वृद्ध क्रांतिकारियों का प्रश्न सभा में उठाया गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उन्हें यों ही मरने नहीं देगें । परन्तु इस आश्वासन के क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया ।

वैसे स्वतन्त्रता सेनानियों की भी विभिन्न श्रेणियां हैं । इनमें से जो लोग गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले थे, उनके लिए तो फिर भी कुछ न कुछ किया गया है परन्तु नेता जी के अनुयायियों तथा समर्थकों के लिए तो सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है । सरकार द्वारा कई बार यह बात भी कही गई है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी

जा रही है । परन्तु मेरी जानकारी है कि किसी भी मामले में यह राज्य सहायता 50 रुपये से अधिक नहीं है । क्या यही सम्मान हम अपने स्वतन्त्रता सेनानियों को दे रहे हैं ? प्रत्येक वर्ष यह बात देखने में आती है कि सरकार अनेक व्यक्तियों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न की उपाधियों से अलंकृत करती है । परन्तु गत 25 वर्षों में एक भी स्वतन्त्रता सेनानी का सम्मान नहीं किया गया है । उनकी स्मृति में किसी प्रकार का कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह शहीदों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली जैसे महानगरों में उचित स्मारक बनाये । सरकार को यह बात भी स्पष्ट करनी चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है । यदि सरकार शहीदों के सम्मान के लिए कुछ नहीं करती तो यह उनके साथ किसी विश्वासघात से कम नहीं होगा ।

**श्री बी० एस० मूर्ति** (अमालापुरम) श्रीमानजी, आज सम्पूर्ण राष्ट्र हमारीसशस्त्र से नाम्रों द्वारा किये गये महान कार्य की खुशी मना रहा है । इसी समय हमें उन शहीदों को भी याद करना स्वाभाविक ही है जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था । वास्तव में नये भारत के निर्माता स्वतंत्रता सेनानी ही हैं और उनकी पुण्य समृति में देश के हर स्थान पर स्मारक बनाये जाने चाहिये ।

[अध्यक्ष महदोय पीठसीन हुये
Mr. Speaker in theChair]

इससे हमारी आने वाली संस्तति को यह ज्ञात हो सकेगा कि जिस नवीन और स्वतंत्र भारत में वह विवरण कर रहे हैं उसके लिये किन किन शहीदों ने अपना रक्त बहाया था ।

सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अधिक कुछ नहीं किया है । राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने का कुछ प्रयास किया है । परन्तु यह खेद की बात है कि प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को अपने आपको पंजीकृत कराना पड़ता है और यह सिद्ध करने के लिये प्रणाम पत्र प्राप्त करना पड़ता है कि वह स्वतंत्रता सेनानी थे । सरकार इस सम्बन्ध में अपने रिकार्ड में "राजनीतिक पीड़ित" शब्द का प्रयोग कर रही है जो कि अच्छा शब्द नहीं है । इस शब्द के स्थान पर "स्वतंत्रता सेनानी" शब्द रखा जाना अधिक उचित होगा ।

सरकार ने राजनीतिक पेंशन देने की बात भी कही है परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा करना क्रांतिकारियों के प्रति अपमानजनक होगा । केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अगले वर्ष स्वतंत्रता सेनानियों की एक रजत जयंती मनाने से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी सूची तैयार की जायेगी तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर उनके नाम प्रदर्शित किये जायेगें ।

सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि क्या वह भी सक्सेना के विधेयक को स्वीकार करेंगे या नहीं । मैं इतना कह देना चाहता हूं कि सम्पूर्ण सभा इस विधेयक का समर्थन करती है अतः सरकार को सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये यह विधेयक स्वीकार कर उसे नये सत्र में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि शहीदों के प्रति देश का दायित्व पूरा किया जा सके ।

**Shri Paripoornanand Painuli** (Tehri Garhwal): Mr. Speaker, Sir, I feel that the

bill moved by Shri Sexanna is a timly one and I support it. I wish that Government of India should prepare a "who is who" of freedom fighters in the country. Besides, the State Government should be directed

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा। इस समय प्रधानमन्त्री अपना एक वक्तव्य देंगी।

---

## पश्चिमी क्षेत्र में सभी मोर्चों पर 17 दिसम्बर 1971 को रात्री के 8 बजे से युद्ध विराम संबन्धी भारत के निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INDIA'S DECISION TO CEASE OPERATIONS FROM 20·00 HOURS. ON THE 17 TH. DECEMBER, 1971 ON ALL FRONTS IN THE WESTERN SECTOR

**प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी)** : बंगला देश में बड़ी उथल-पुथल होने के 6 दिन बाद, 31 मार्च 1971 को मैंने इस सभा में एक संकल्प पेश किया था। उस समय मैंने कहा था कि शान्ति में भारत की पूर्ण आस्था और मानवीय अधिकारों का समर्थन तथा रक्षा करने की हमारी प्रतिज्ञा के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि बल प्रयोग और बंगला के निहत्थे लोगों के नरसंहार को शीघ्र ही रोका जाए। मैंने सभी देशों और सरकारों से अनुरोध किया था कि वे बंगला देश के लोगों की योजनाबद्ध हत्या को शीघ्र समाप्त कराने के लिये पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने हेतु तत्काल रचनात्मक कदम उठायें।

मैंने कहा था कि इस सदन का पूर्ण विश्वास है कि पूर्वी बंगाल की साढ़े सात करोड़ जनता की यह जागृति अन्ततोगत्वा सफल होगी। हमने उनको आश्वासन दिया था कि उनके उस संघर्ष और बलिदानों को भारत की ओर से पूर्ण सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होगा। यह जो प्रण हमने इस सभा में किया था, उसको हमारे देश ने पूरा कर दिखाया है।

उन सभी लोगों ने, जिन्होंने शस्त्रास्त्र उठाये और जो इस कार्य के आयोजन और संचालन और निदेशन का काम करते रहे हैं तथा भारत के वे सभी लोग जिन्होंने इसका हृदय से समर्थन किया है, हमारे धन्यवाद और मुबारक के पात्र हैं।

यह विजय केवल शस्त्रों की नहीं है प्रत्युत विचारों की भी है। मुक्तिवाहिनी ने बंगला देश की स्थापना के लिये तीव्र इच्छा और साहस के साथ स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा है। यदि हमारी सेनाओं को उनके 'लक्ष्य' का पूर्ण विश्वास न हो तो वे उस निर्भयता और वीरता से न लड़ सकते जिससे कि वे लड़े हैं।

भारत का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक रहा है, और विरोध में लड़ने वालों के दृष्टिकोण के प्रति उसकी हमेशा सहनशीलता की भावना ही रही है।

हमारे सिद्धांत लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद है। इन सिद्धांतों पर चलकर

ही स्वतन्त्रता, तथा कमजोर व्यक्तियों की रक्षा तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिये विकास के पूरे अवसर जुटाने का मार्ग प्रशस्त होता है ।

हम पुन: अपने आदेशों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं । हमें यह भी आशा है कि पाकिस्तान भी वही मार्ग अपनायेगा जो उनकी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होगा । गत 24 वर्षों में हमने बहुत से उग्र भाषण, गालियां तथा गलत प्रचार अपने विरुद्ध होते हुए सुना है । हम विश्वास नहीं करते थे कि पाकिस्तान के लोगों की ऐसी आवाज है । उनके शासकों ने निरन्तर उन्हें अन्धेरे में रखा है । हम उन्हें यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके प्रति हमारी भावनायें शत्रुतापूर्ण नही हैं ।

हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हों और हम एक दूसरे की भावना को अच्छी प्रकार समझें । वहां की जनता को अपने घर में मालिक बनकर रहना चाहिए । उन्हें अपनी शक्ति अपने देश की गरीबी और असमानता के उन्मूलन में लगानी चाहिये ।

इसी हार्दिक इच्छा के कारण ही कल शाम अपनी जल, थल और वायु सेना को आज आठ बजे शाम से सभी पश्चिमी मोर्चों पर लड़ाई बन्द कर देने के आदेश दिये थे ।

मैं देश के समस्त राजनितिक दलों का आभार मानती हूं, जिन्होंने इस संकट काल में अपना समर्थन प्रदान किया है । उन्होंने शांति के लिये की गई पहल का भी समर्थन किया है । हमारे विदेश मंत्री ने हमारी इस पेशकश को न्यूयार्क में सारे विश्व को बताया है । स्विट्जरलैंड के दूतावास के माध्यम से इसकी सूचना हमने पाकिस्तान की सरकार को भी दे दी है हमें आशा है कि पाकिस्तान के शासक हमारी पेशकश का स्वागत करेंगे और तदानुसार ऐसा ही मार्ग अपनायेंगे ।

यदि उन्होंने ऐसा न किया तो इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए पाकिस्तान के सैनिक शासक ही उत्तरदायी होंगे । पश्चिमी मोर्चे पर जो भी कुछ होगा, हमें संचेत रहना है । आने वाले कुछ महिनों में हमें कई एक नयी और जटिल समस्याओं का सामना करना होगा हमें अपने देश की अखंडता और हितो, की रक्षा के लिये सदैव जागरूक रहना है और सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्र के अस्तित्व की आधारभूत मान्यतायें अटूट और अखण्ड रहें ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : I have given a notice that I would like a discussion on it It has not been correctly stated by the Prime Minister that she has got the support of all the opposstion parties for declaring cease-fire. We want an opportiunity to discuss it.

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर बाद में विचार किया जायेगा ।

**श्री ए० के० गोपालन** (पालघाट) : राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जो बातचीत हुई थी मैं उसमें उपस्थित था । जनसंघ के श्री पीताम्बर दास भी उसमें उपस्थित थे और वह केवल युद्ध-विराम के लिए सहमत ही नहीं हुये थे अपितु उन्होने यह भी कहा था कि इससे पूर्व कि

याहयां खां कुछ करे, हमें शीघ्र ही ऐसा कर देना चाहिए। जब इनके दल का प्रतिनिधि एक बात को स्वीकार कर चुका है तो अब उसे वह सदन में क्यों उठा रहे हैं। यह गलत तरीका है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am sorry that I was not present yesterday in the meeting. But our representatives have said that they have resemetias

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्री वाजपेयी तथा मैं स्वयं बैठक में उपस्थित नहीं थे। मैंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से मालूम किया तो पता लगा कि घोषणा को पूरा पढ़ा गया था तथा उसमें कुछ परिवर्तन भी किये गये थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी।

---

**अध्यक्ष महोदय** : यह विचार सदस्य महोदय को बाद में आया होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

---

## प्रधान मन्त्री का अभिनन्दन करने के लिये सैंट्रल हाल में संसद सदस्यों के सम्मेलन के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMANT RE. MEETING OF MEMBERS OF PARLIAMENT IN THE CENTRAL HALL TO FELICITATE THE PRIME MINISTER

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि कल शाम को चार बजे सदन द्वारा प्रधान मन्त्री का अभिनन्दन किया जायेगा यह मेरा सौभाग्य है कि इस समारोह की अध्यक्षता भी मैं ही करूंगा। वैसे मैं कल अपने चुनावक्षेत्र अमृतसर जाने वाला था। क्योंकि मुझे सदन में अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है अत: प्रधान मन्त्री को स्वयं ही मेरे चुनाव क्षेत्र का ख्याल रखना चाहिये।

---

## स्वतन्त्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक-जारी

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL-CONTD

Shri Paripoornanand Painuli : I was saying that since we are going to celebrate the Silver jubilee of our Independence therefore we should take concrete steps to honour the freedom fighter

---

## शनिवार, 18 दिसम्बर 1971 को सभा की बैठक के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE: SITTING OF THE HOUSE ON SATURDAY DECEMBER 18, 1971

**अध्यक्ष महोदय** : कल हममें से अधिकांश लोग तो यहां होंगे ही। अत: इस अवसर का

का लाभ उठाने के लिए कल लोक सभा 2 बजे म. प. से 4 बजे म. प. तक के लिए समवेत होगी ।

मन्त्री महोदय सभा की कार्यवाही की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और कार्यवाही सूची का परिचालन भी कर दिया जायेगा ।

---

## स्वतन्त्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक जारी
## FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL CONTD

**Shri Paripoornanand Painuli** : Today the families and dependents of the freedom fighters are in great difficulty. The pension which is given to them is quite nominal and that too is not being paid regularly. The education is not free to their children. As a matter of fact they should be provided all the facilities which the Members of Parliament are getting. These are all very small things as compared to their sacrifices but even by doing so we will express our gratitude towards them.

With these words I support the Bill but at the same time I would request sh. Sexanna that in case the Government is proposing to come forward with a similar lagislation in the next session, he should withdraw the Bill.

**Shri R. S. Pandey** (Rajnandgaon) : With due respect, I support this Bill

[**Shri N. K. Salve in the Chair**
**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुये**]

There is no doubt that there is great need for giving financial assistance to the people who sacrificed their all at the alter of freedom. But at the same time I strongly feel that even more important thing is to give due regard to those heros rather than any sort of financial assistance. Therefore, I wish that we should come out with some literature giving a full amount of the sacrifices made by those people so that coming generations could know about them and draw inspiration from their heroic deeds. At the same time I also feel that the word "ass stance" or "financial assistance" should not be used for these freedom fighters. This old word should be replaced by a suitable dignified word such as "service" to freedom fighters etc.

Shri Sexana, the mover of the Bill himself is an old freedom fighter. He does not want anything for himself But the sentiments expressed by him and Dr. Govind Dass must be respected.

It is not proper to ask the freedom fighters to come forward to ask for assistance from the Government. Instead the Government should themseives find out such people and offer help to them. It will be more in keepecting with our tradition of respecting our great men. It has also been rightly stated that we should go in for raising monuments and memorials for the freedom fighters. Today we are busy in discharging the responsibilities of democracy but we are not giving due attention to the people who sacrifice their all for the attainment of freedom and democracy.

It the hon. Minister is prepared to come forward with a comprehensive Bill to help freedom fighters, then we can persuade Shri Saxena to withdraw his Bill. But in case

there is no such move from the Government and this Bill is withdrawn or defeated then it will be something very unfortunate. Hence I would request the Government to clarify its position.

**सभापति महोदय** : हमारे पास दो मिनट का समय रह गया है। क्या आप अपना वक्तव्य देना चाहते हैं ?

**श्री एफ० एच० मोहसिन** : मैं श्री पांडेय द्वारा उठाने गये प्रश्नों में से एक का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। सरकार पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह एक विधेयक के रूप में ही किया जा सकता है...**(व्यवधान)**

इसके बारे में कोई योजना भी बनाई जा सकती है। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस बात को कह रहे थे, इसीलिए मैं यह बताना चाहता था कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

**सभापति महोदय** : मन्त्री यहोदय ने अपनी बात संक्षेप में कह दी है। अब सभा स्थगित होती है।

**इसके पश्चात लोक सभा शनिवार 18 दिसम्बर, 1971/27 अग्रहायण 1893 (शक) के 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, the 18th December 1971/27 Agrahayana 1893 (Saka)**

Ashoka Printing Works Modinagar